# फर्द अहकाम
## कार्यालय जिला कलक्टर राजसमन्द, जिला राजसमन्द

श्री छगनलाल पिता श्री हीरालाल बैरवा निवासी राजपुरा दरीबा तहसील रेलमगरा जिला राजसमन्द

**– अपीलांट**

**बनाम**

लोक सूचना अधिकारी, अतिरिक्त जिला कलक्टर राजसमन्द

**– रेस्पोण्डेंट**

**किस्म मुकदमा**– अपील सूचना का अधिकार, 2005 **पत्रावली संख्या 03/2019**

| कमांक | कार्यवाहिक विवरण | हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएं जारी की गई |
|---|---|---|
| | **दिनांक 14.02.2019**<br><br>पत्रावली प्रस्तुत हुई। अपीलार्थी उपस्थित। अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 अन्तर्गत वांछित सूचना लोक सूचना अधिकारी, अतिरिक्त कलक्टर, राजसमन्द से प्राप्त नही होने से इस कार्यालय में सूचना प्राप्ति हेतु प्रेषित प्रथम अपील को दर्ज रजिस्टर किया जाकर लोक सूचना अधिकारी, अतिरिक्त कलक्टर, राजसमन्द जिला राजसमन्द को वांछित सूचना अपीलार्थी को उपलब्ध कराते हुए रिपोर्ट इस न्यायालय में भिजवाने हेतु निर्देशित किया गया।<br>लोक सूचना अधिकारी, अतिरिक्त कलक्टर, राजसमन्द द्वारा जरिये पत्रांकः–प.1( )सू0अ0,05/2018/**89–90** दिनांक **25.01.2019** से प्राप्त रिपोर्टानुसार प्रार्थी/अपीलार्थी के आवेदन पत्र दिनांक 28.09.2018 से चाही गयी वांछित सूचना इस कार्यालय से सम्बन्धित नहीं होने से सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(3)(I)(II) के अन्तर्गत मूल आवेदन पत्र प्रबंधक/लोकेशन हेड हिन्दुस्तान जिंक लि0 राजपुरा दरीबा माईन्स तहसील रेलमगरा जिला राजसमन्द को इस कार्यालय के जरिये पत्रांक/सू0अ0,05 / 2018/825–26 दिनांक 12.10.2018 से भेजा गया एवं प्रार्थी को भी इस बाबत सूचित किया गया कि सम्बन्धित कार्यालय में सम्पर्क कर सूचना प्राप्त करें। महाप्रबन्धक (प्रशासन) हिन्दुस्तान जिंक लि0 राजपुरा दरीबा माईन्स तहसील रेलमगरा जिला राजसमन्द द्वारा जरिये पत्रांक :राद/हि.जि.लि./रा.द./18 दिनांक 30.10.2018 से प्रार्थी को सूचित करते हुए इस कार्यालय को भी सूचित किया गया कि हिन्दुस्तान जिंक लि0 एक प्राईवेट संस्थान है जोकि आरटीआई के दायरे में नहीं आती है अतः आवेदक द्वारा वांछित जानकारी उपलब्ध करवाया जाना संभव नहीं है। उक्त अपील पूर्व में श्रीमान के अपील संख्या 47/2018 की होकर दिनांक 10.01.2019 से निर्णित की जा चुकि है जिसमें इस अनुभाग से भिजवाया गया जवाब जरिये कमांक 993–94 दिनांक 20.12.2018 से प्रेषित किया गया । जिसमें जवाब के पैरा दो में अन्तरण दिनांक 28.06.2018 सेवन से टंकित हुई उसके स्थान पर दिनांक 12.10.2018 है। | |

प्रार्थी/अपीलार्थी को सुना गया। प्रार्थी अपीलार्थी द्वारा सुनवाई के दौरान राज्य सूचना आयोग को संबोधित प्रार्थना पत्र दिनांकः 14.02.2019 की इस कार्यालय को सूचनार्थ पृष्ठांकित प्रति प्रस्तुत कर सूचना दिलाने की इस्तदुआ कि गई और हिन्दुस्तान जिंक लि0 राजपुरा दरीबा माईन्स तहसील रेलमगरा में लोक सूचना अधिकारी नियुक्त होना जाहिर करते हुए निवेदन किया कि सूचना का अधिकार अधिनियम,2005 इस कम्पनी पर भी प्रभावी होने से मुझ प्रार्थी को सूचना दिलवायी जावें किन्तु प्रार्थी/अपीलार्थी ने अपने द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों के सम्बंध में एवं सुनवाई के दौरान किये गये कथनों की पुष्ठि में राज्य सरकार के स्पष्ट नोटिफिकेशन, आदेश आदि की कोई प्रति पेश नहीं कर केवल मात्र माईनिंग विभाग, उदयपुर प्रार्थी को जारी पत्र की प्रति पेश की गयी हैं जिससे हिन्दुस्तान जिंक लि0 को सूचना का अधिकार अधिनियम के दायरे में माना जाना समुचित प्रतीत नहीं होता है ।

लोक सूचना अधिकारी, अतिरिक्त कलक्टर, राजसमन्द की रिपोर्ट एवं प्रार्थी अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र का अवलोकन किया गया। प्रार्थी/अपीलार्थी द्वारा सुनवाई के दौरान किये गये कथन पर मनन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से प्रार्थी/अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचना इस कार्यालय की नहीं होकर हिन्दुस्तान जिंक लि0 राजपुरा दरीबा माईन्स तहसील रेलमगरा जिला राजसमन्द से संबंधित है । सूचना के अधिकार अधिनियम,2005 की धारा 2 (ज) (अनुच्छेद 6) के अनुसरण में हिन्दुस्तान जिंक लि0 राजपुरा दरीबा माईन्स तहसील रेलमगरा ने अपने पत्र दिनांक 30.10.2018 से स्पष्ट किया गया है कि हिन्दुस्तान जिंक लि0 राजपुरा दरीबा माईन्स एक प्राईवेट संस्थान है जो आर0टी0आई0 के दायरे में नहीं आती है के संबंध में सूचना दिलाया जाना सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के वर्णित प्रावधानों के अनुरूप समुचित नहीं है । प्रार्थी/अपीलार्थी के द्वारा भी सुनवाई के दौरान ऐसे कोई ठोस तथ्य व दस्तावेजी प्रमाण पेश नहीं किये गये जिससे यह प्रतीत होता हो कि हिन्दुस्तान जिंक लि0 सूचना का अधिकार अधिनियम,2005 के दायरे में आती हैं।

अतः प्रथम अपील प्रार्थना पत्र को सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के वर्णित प्रावधानों के अनुरूप सारहिन होने एवं इस कार्यालय के श्रवणाधिकार मे नहीं होना पाये जाने से खारिज की जाती है । निर्णय की प्रति अपीलार्थी एवं लोक सूचना अधिकारी, अतिरिक्त जिला कलक्टर राजसमन्द को भिजवायी जावे।

पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज रजिस्टर नं0 से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

लोक सूचना अपीलीय अधिकारी
(जिला कलक्टर)राजसमन्द

कार्यालय जिला कलक्टर राजसमन्द (राज.)